

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(संग्रह अनुभाग)

लखनऊ ::दिनांक:: 13 सितम्बर 2011

- 1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 2- समस्त डिप्टी कमिश्नर (क0नि0/कर वसूली अधिकारी, वाणिज्य कर, संग्रह इकाई, उ0प्र0

व्यापारी द्वारा देयकर के भुगतान एवं उसकी वसूली के प्राविधान मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत दिये गये हैं । धारा 33 (13) के अनुसार यदि किसी डीलर पर कर निर्धारण आदेश एवं माँग पत्र की तामीली करायी जा चुकी है एवं इस कर अथवा देयता के विरुद्ध व्यापारी द्वारा कोई अपील, रिवीजन या अन्य कार्यवाही की गयी है और ऐसी अपील या रिवीजन की कार्यवाही में यदि व्यापारी की देयता बढ़ाई जाती है तो ऐसी बढ़ाई हुयी धनराशि का माँग पत्र पुनः जारी किया जाना अपेक्षित है, किन्तु यदि कर की देयता में कमी की जाती है अथवा कोई परिवर्तन नहीं होता है तो अलग से पुनः माँग पत्र जारी किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा कमी की दशा में केवल शेष बची धनराशि की वसूली का ही प्राविधान है । इसी धारा के प्राविधानों के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि यदि किसी माँग पत्र / माँग पत्रों के आधार पर वसूली अथवा अन्य कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है तो वह कार्यवाही उस कम की गयी धनराशि के विषय में उसी स्तर से आगे की जा सकती है जिस स्तर पर वह अपील के निस्तारण से ठीक पूर्व थी । प्रचलित विधान के अंतर्गत बकायेदार फर्म / व्यापारी को अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध नियत समय सीमा के अन्दर द्वितीय अपील, पुनरीक्षण / रिट याचिका / विशेष अनुज्ञा याचिका योजित करने का विधिक अधिकार है । अतः अपीलीय अधिकारी के निर्णय के उपरान्त धारा 33 (13) के उपबन्धों के अधीन वसूली हेतु उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पुनः उसी स्तर से प्रारम्भ अवश्य की जाये किन्तु सम्बन्धित बकायेदार / फर्म को इस सम्बन्ध में 10 दिन का समय देते हुये उक्त आशय की नोटिस दे दी जाये ताकि यदि बकायेदार द्वारा उपर्युक्त में से यदि कोई विधिक स्टेप लिया गया हो या किसी प्रकार का अन्यथा आदेश प्राप्त किया गया हो तो उसकी जानकारी वसूलकर्ता अधिकारी को हो जाए और उक्त अधिकारी द्वारा जानकारी में आए तथ्यों के दृष्टिगत कार्यवाही की जा सके ।

2- अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि कतिपय कर निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी बकाये की वसूली हेतु अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही न करके उत्पीड़नात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत बकायादारों के खातों को कुर्क करके भुगतान रोकने की कार्यवाही करते हैं । उपर्युक्त उत्पीड़नात्मक कार्य प्रणाली उचित नहीं है और बकाया वसूली के लिए नियमानुसार नियत प्रक्रिया का सम्यक अनुपालन आवश्यक है ।

3- अतः निर्देशित किया जाता है कि बकाया वसूली के लिए अन्य विकल्प यथा बैंक गारण्टी उपलब्ध होने पर सर्वप्रथम उनका प्रयोग करके वसूली की जाये और तत्पश्चात् ही उत्पीड़नात्मक कार्यवाही उपर्युक्त विधिक प्राविधानों के आलोक में नियत प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये । धारा 33(13) के अन्तर्गत पुनः उत्पीड़नात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करते समय उपर्युक्त प्रस्तर-1 में वर्णित निर्देशों का भी सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए । यदि

(2)

किसी मामले में उपर्युक्त नियत प्रक्रिया का पालन न किया जाना पाया गया तो ऐसे मामले में गम्भीर रुख अपनाते हुए कठोर कार्यवाही की जायेगी। कृपया इन निर्देशों से अपने जोन के समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) एवं समस्त कर निर्धारण अधिकारियों तथा विभागीय संग्रह इकाई योजना के समस्त अमीनों को अवगत कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराये।

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक : उक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- विशेष सचिव, कर एवं निबन्धन, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने जनपदों में वसूली स्टाफ को उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।